न्यायालय सत्र न्यायाधीश, रमाबाई नगर (कानपुर–देहात)।

प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1486/2026

CNR No.**UPRN01- 003776-2026**

1. सिद्धार्थ सिंह उम्र लगभग 19 वर्ष पुत्र जहान सिंह, निवासी ग्राम महेशपुर उमरपुर, थाना सिकन्दरा, जनपद कानपुर देहात। ...आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र० राज्य ... प्रतिपक्षी

मु०अ०सं०–52/2026
धारा–103(1),3(5) बी०एन०एस०
थाना–सिकन्दरा, कानपुर देहात।

आदेश

1. मु०अ०सं०–52/2026, धारा–103(1),3(5) बी०एन०एस०, थाना–सिकन्दरा, कानपुर देहात के मामले में आवेदक/अभियुक्त सिद्धार्थ सिंह के द्वारा अग्रिम जमानत हेतु अग्रिम जमानत आवेदन दिया गया है।

2. अभियोजन के कथनानुसार वादी मुकदमा छविराम निषाद के द्वारा इस आशय की तहरीर संबंधित थाने पर दी गयी कि वह ग्राम महेशपुर, थाना अमराहट, जनपद कानपुर देहात का मूल निवासी है। उसका पुत्र सत्यम निषाद उम्र करीब सोलह वर्ष दिनांक–23.03.2026 को गांव के ही निवासी स्व० राघवेन्द्र निषाद पुत्र रघुनाथ प्रसाद की पुत्री के वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिये सिकन्दरा में सन्दलपुर रोड पर स्थित विमला गार्डन गेस्ट हाउस में आया हुआ था। उक्त वैवाहिक कार्यक्रम में पहले से ही घात लगाकर बैठे गांव के ही गौरव कुमार उर्फ चुलबुल पुत्र रविन्द्र कुमार ने अपने कुछ साथियों के साथ धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसके पुत्र को पेट में गंभीर चोटे आयी। उसके पुत्र को वेशलाल पुत्र स्व० रामकिशन, सुनील, विजय पुत्र बालक राम आटो से सरकारी अस्पताल सिकन्दरा लेकर आये। जहाँ उपचार के दौरान उसके पुत्र की मृत्यु हो गयी। उक्त अपराधी अपने साथियों के साथ उसके पुत्र सत्यम निषाद के साथ गेस्ट हाउस विमला गार्डन में हमला कर वहीं से फरार हो गये। रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही किये जाने की याचना की गयी।

3. सुना तथा प्रपत्रों का परिशीलन किया।

4. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उक्त मामले में पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। वह निर्दोष है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। कथित अपराध धारा–482(4) बी०एन०एस०एस० की परिधि में नहीं आता है। यह उसका प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन है। उसे गांव की राजनैतिक रंजिश के कारण पुलिस से साठ गांठ करके विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा नाम प्रकाश में लाया गया है। घटना वाले दिन उक्त शादी में गया था, किन्तु घटना होने से पहले अपने घर वापस आ गया था। वीडियो का पुलिस ने गलत इस्तेमाल किया है। किसी भी गवाह ने उसका नाम नहीं लिया है। जिन एक दो गवाह ने उसका नाम लिया है, वे वादी के सहयोगी है। वह पढ़ने लिखने वाला छात्र है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। तद्नुसार उन्होंने अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर दिये जाने का निवेदन किया।

5. अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने मौखिक रूप से तथा वादी के विद्वान अधिवक्ता ने लिखित रूप से अग्रिम जमानत प्रा0 पत्र का प्रबल विरोध एवं खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक/अभियुक्त के द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के पन्द्रह वर्षीय पुत्र की बेरहमी से हत्या कारित की गयी है। आवेदक का नाम विवेचना में आ रहा है। आवेदक ने स्वयं शादी में मौजूद होना बताया है, जिसका साक्ष्य वीडियो फुटेज में भी मौजूद है। मामले में विवेचना प्रचलित है। प्रथम दृष्टया अभियुक्त की निर्दोषिता की उपधारणा

Digitally signed by RAVINDRA SINGH
Date: 2026.07.14 13:56:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

नहीं की जा सकती है। तद्नुसार उन्होंने अपराध की प्रकृति को गम्भीर होना बताकर अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

6. अभियोजन प्रपत्रों के परिशीलन से ज्ञात है कि इस मामले में वादी मुकदमा के द्वारा गौरव कुमार उर्फ चुलबुल के द्वारा अपने कुछ साथियों के साथ विवाह समारोह में उसके पुत्र पर धारदार हथियार से हमला करके उसकी हत्या कारित किये जाने के बाबत प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित थाने पर पंजीकृत कराया गया है। विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि आवेदक/अभियुक्त सिद्धार्थ सिंह तथा सह अभियुक्तगण गौरव व कमल सिंह ने सत्यम को पकड़ लिया और सह अभियुक्त गौरव ने सत्यम के पेट में चाकू मार दिया। मामले में सह अभियुक्त गौरव उर्फ चुलबुल के पास से घटना में प्रयुक्त चाकू की बरामदगी पुलिस के द्वारा की गयी है। अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार सी०सी०टी०वी० फुटेज में सिद्धार्थ को घटनास्थल से जाते हुये देखा गया है। विवेचना के दौरान आवेदक/अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। इस स्तर पर आवेदक/अभियुक्त को प्रश्नगत आपराधिक घटनाक्रम में मिथ्यारोपित किये जाने का कोई ठोस एवम् न्यायोचित आधार विद्यमान नहीं है। आवेदक/ अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत तर्क एवम् बचाव में अभिकथित तथ्य साक्ष्य एवम् विचारण का विषय है।

7– सम्पूर्ण तथ्यो, परिस्थितियों एवम् अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का कोई ठोस आधार विद्यमान नहीं है।

8– निष्कर्षतः आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक–14.07.2026

(रविन्द्र सिंह)
सत्र न्यायाधीश
रमाबाई नगर (कानपुर देहात)।
J.O. Code–UP02003